कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

Phone no./Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 1515/33 सी दिनांक 17/08/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय – जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरू से भैंसकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.785 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/30646/2017)

सन्दर्भ – इस कार्यालय का पत्रांक–1658/33सी0 दिनांक 14.11.2019

महोदय,

विषयवर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8वी०/यू0सी0पी0/06/68/2018/एफ0सी0/1678 दिनांक 14.11.2018 द्वारा प्राप्त है। भारत सरकार के पत्र के अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या चार–चार प्रतियों में इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा पूर्व में आपको प्रेषित की जा चुकी थी जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम जोगियाणा की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.570 हे0मी0 भूमि वन विभाग के पक्ष में करने हेतु जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या–183/XXVI-04(2023-24) दिनांक नइ टिहरी मई 01, 2024 द्वारा नामान्तरण/हस्तान्तरण आदेश निर्गत किये गये हैं। जिसकी सूचना आपको इस कार्यालय के पत्रांक 753/33सी0 दिनाक 08.05.2024 द्वारा पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है। अवगत कराना है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो का बिन्दुवार विवरण आपको प्रेषित किया जा रहा है।

शर्त सं0 1 (1.1)–क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम जोगियाणा की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.570 हे0 भूमि वन विभाग के पक्ष में करने हेतु जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या–183/XXVI-04(2023-24) दिनांक नई टिहरी मई 01, 2024 द्वारा नामान्तरण/हस्तान्तरण आदेश निर्गत किये गये है। (प्रति संलग्न)

शर्त सं0 1 (1.2)– क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 1094316.00 की धनराशि ऑन लाईन दिनांक 04.11.2019 को जमा कर दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 2 :– एन0पी0बी0 की धनराशि रू0 1172745.00 चालान द्वारा दिनांक 04.11.2019 को जमा की गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 3 :– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0बी0 की दरों में बढ़ोत्तरी के कारण एन0पी0बी0 की बढ़ी धनराशि रू0 621555.00 चालान द्वारा दिनांक 05.08.2024 को जमा कर दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)।

शर्त सं0 4 :– आपके द्वारा जारी डिमाण्ड़ नोट जो कि आपके पत्र सं0–608/13–1 दिनांक 02.09.2018 द्वारा इस खण्ड़ को प्रेषित किया गया है के उक्त बिन्दु के अवगत कराना है कि एन0पी0वी0 शुद्ध मूल्य एवं दूसरी सभी निधियां ऑन लाईन चालान जनरेट करने के उपरान्त कैम्पा में जमा किया जा चुका है। (चालान की प्रति शर्त सं0–3 के अनुसार संलग्न है)

शर्त सं0 5 :– सड़क निर्माण के पश्चात जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा सैन्टरल वेज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में स्ट्रिप प्लान्टेशन की जायेगी की वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त सं0 6 :– संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन सम्बन्धित राजि अधिकारी के सहयोग से तैयार कर पूर्व में इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है। (प्रति संलगन)। उक्त के अतिरक्त भू–वैज्ञानिक के सुझाव एवं जिलाधिकारी टिहरी द्वारा वन अधिकारी अधिनियम 2006 से सम्बन्धित (एफ0आर0ए0) का प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संलग्न है।

–– पृष्ठ सं0 2 पर ––

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें तथा मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों के छपान व कटान के आदेश निर्गत करते हुए कार्य प्रारम्भ की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न — उपरोक्तानुसार चार–चार प्रतियों में।

(इं0 मौ0 आरिफ खान)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

पत्रांक 1515 /33 सी दिनांक 17 /08/2024

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को सूचनाथ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

Phone no./Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 753/33 सी दिनांक 08/05/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय – जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरू से भैंसकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.785 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/30646/2017)

सन्दर्भ – इस कार्यालय का पत्रांक सं0–1658/33सी0 दिनांक 14.11.2019

महोदय,

विषयवर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/68/2018/एफ0सी0/1678 दिनांक 14.11.2018 द्वारा प्राप्त है। जिसकी अनुपालन आख्या इस कार्यालय उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है एवं अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड़ भी की जा चुकी है। अनुपालन आख्या की प्रति आपको सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–1 में उल्लिखित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के हस्तान्तरण नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी के क्रम में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं0 183/XXVI-04(2023–24) दिनांक नई टिहरी मई 01, 2024 द्वारा हस्तान्तरण नामान्तरण के आदेश निर्गत किये गये है एवं वर्तमान में अमल दरामद की कार्यवाही भी पूर्ण की जा चुकी है। जिसका प्रमाण पत्र भी संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मार्ग पर विधिवत स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को लिखने की कृपा करें।

संलग्न – अमल दरामद का प्रमाण पत्र एवं
हस्तान्तरण नामान्तरण से सम्बन्धित
समस्त अभिलेख 4–4 प्रतियों (11–11 पृष्ठ) में।

(इं0 डी0पी0 आर्य)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

पत्रांक /33 सी दिनांक / /2024

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (देवप्रयाग) लो0नि0वि0 कीर्तिनगर को इस आशय से प्रेषित कि नामान्तरण/हस्तान्तरण से सम्बन्धित अभिलेख व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 658 /33 सी दिनांक 14/11/2019

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरू से भैंसकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.785 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/30646/2017)

सन्दर्भ – भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/68/2018/एफ0सी0/1678 दिनांक 14.11.2018 एंव आपका पत्रांक 608/12–1 दिनांक 02.09.2019

महोदय,

विषयवर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/68/2018/एफ0सी0/1678 दिनांक 14.11.2018 द्वारा प्राप्त है। भारत सरकार के पत्र के अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या चार–चार प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

शर्त सं0 1 :– क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 1094316.00 की धनराशि ऑन लाईन दिनांक 04.11.2019 को जमा कर दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न है) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम जोगियाणा की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.570 हे0सी0 का नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में करने हेतु उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर को इस कार्यालय के पत्रांक 381/33सी0 दिनांक 28.02.2019 द्वारा लिखा गया है। आख्या प्राप्त होने पर आपको प्रेषित कर दी जायेगी।

शर्त सं0 2 :– एन0पी0बी0 की धनराशि रू0 1172745.00 चालान द्वारा ऑन लाईन दिनांक 04.11.2019 को जमा की गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 3 :– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0बी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी की वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त सं0 4 :– आपके द्वारा उक्त संन्दर्भित पत्र के अनुपालन में दिये गये डिमान्ड नोट के आधार पर वांछित धनराशि सी0ए0एफ0 नई दिल्ली को चालान द्वारा ऑन लाइन जमा की गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 5 :– सड़क निर्माण के पश्चात जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा सेन्टरल वेज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में स्ट्रिप प्लान्टेशन की जायेगी की वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त सं0 6 :– संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन सम्बन्धित शाखा अधिकारी के सहयोग से तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त भू–वैज्ञानिक के सुझाव एवं जिलाधिकारी टिहरी द्वारा वन अधिकारी अधिनियम 2006 से सम्बन्धित (एफ0आर0ए0) का प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें तथा मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों के छपान व कटान के आदेश निर्गत करते हुए कार्य प्रारम्भ की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार चार–चार प्रतियों में।

(इं0 विनोद नेगी)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

पत्रांक 1658 /33 सी दिनांक 14/11/2019

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन सरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को सूचनाथ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 कीर्तिनगर को इस आशय से प्रेषित कि नामान्तरण/हस्तान्तरण आख्या प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभाग से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

::आदेश::

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 8वी / यू.सी.पी / 0668 / 2018 / एफ.सी / 1500 दिनांक 27.02.2024 में उल्लिखित विन्दु सं0 02 में उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु प्रस्तावित भूमि को वन विभाग उ0शा0 के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, कीर्तिनगर के द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 637 / 33सी दिनांक 03.04.2024 के द्वारा टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जामणीखाल चौड़ियों से बारगुरू होते हुए भैंसकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.785हे0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी सिविल भूमि 3.570हे0 वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया हैं।

सयुंक्त निरीक्षण आख्यानुसार प्रस्तावित किये गये स्थलों का विवरण निम्नवत् प्रस्तुत किया गया है।

क0 सं0	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं0	अर्जित रक्वा (हे0)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7
01	डोबलू	चन्द्रबदनी	13 / 22	617	2.292	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड़
02				566म0	1.278	
				योग	3.570	

प्रस्तावित जामणीखाल चौड़ियों से बारगुरू होते हुए भैंसकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या:2882 / XXIII(II) / 11–18(120) / 2010 दिनांक: 11नवम्बर 2011 पर शासनादेश संख्या: 2365 / XXIII(II) / 13–18 (120) / 2010 टी0सी0 दिनांक: 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगनी सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय / मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या:2173 / XXIII(II) / 2012–18(120) / 2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक:17 दिसम्बर 2012 के क्रम मे उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर के द्वारा प्रस्तावित

Scanned with OKEN Scanner

की गयी उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रकबा–3.570हे0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक मे व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड शासन के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है, तहसीलदार देवप्रयाग तत्काल उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

Signed by Mayur Dixit
Date: 30-04-2024 09:55:35 (मयूर दीक्षित)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल। मई 01

संख्याः 193 / XXVI–01 (2023–2024) दिनांक नई टिहरी अप्रैल , 2024

प्रतिलिपि –निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1–सचिव वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2–आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद देहरादून।
3–आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4–मुख्य अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5–प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती।
6–उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर।
7–तहसीलदार देवप्रयाग

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

Scanned with OKEN Scanner

8.

प्रमाण पत्र अमल दरामद

जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत जामणीखाल चौडियों से बारगुरू होते हुये भैसकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.785 है0 वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु दोगुने अनवरत क्षेत्रफ़ल 3.570 है0 भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये ग्राम डोबलू पट्टी चन्द्रबदनी की भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड़ खाता सं0 13/22 खसरा संख्या 617 से अर्जित रकवा 2.292 है0 तथा खसरा संख्या 566 (म0) से अर्जित से रकवा 1.278 है0 कुल रकवा 3.570 है0 का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण की गई है। उक्त 3.570 है0 भूमि वन विभाग के कब्जे मे ले ली गई है। जो कि वन बीट अधिकारी हिसरियाखाल के नियत्रण में हो गई है।

अपर सहायक अभियन्ता

राजस्व उपनिरीक्षक

वन बीट अधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी

तहसीलदार
देवप्रयाग
टिहरी गढ़वाल

G:\vimal kant bhandari\ae.doc

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11 ग्राम डोबलू, पट्टी–चन्द्रबदनी, तहसील देवप्रयाग, टि0गढ़

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5
13/22	वर्ग 9(3) ड. उ0क्ष0	झाड़	1	0.055		1430फ0 शु0 आदेश डी0सी0 जिलाधिकारी						
		वनदो	4	0.035		महोदय, टिहरी गढ़वाल के आदेश सं- 183						
		वस्त	7	0.010		XXVI-09 (2023-24) दिनांक मई 01, 2024 के अनुसार ग्राम डोबलू की						
			|	|		जo विo वo खा0 सं- 13/22 मद्धो खाता						
			559	0.035		नo 617/2.292, 566 मo/1.278 कुल						
			566	1.779		रकबा 3570 है0 भूमि शासनादेश संख्या						
			575	0.015		2193/XXVII(1)/2012-18(120)/2010						
			|	|		राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर						
			|	|		2012 के क्रम में डोलीखित शासनादेश						
			603	0.105		के आलोक में जनहित में वन विभाग						
			617	2.292		अरावली शासन के पक्ष में स्पेशुरेन						
			620	2.551		पुश्तारोपण हेतु हस्तान्तरित की गई है,						
			|	|		तदनुसार R-6 में दर्ज करने के आदेश						
			|	|		है। हस्ताक्षर अस्पष्ट RK (D) दिनांक						
			745	0.010		03.05.2024						
			754	0.050								
			759	0.501								
		योग	114	22.692								

अवर के हस्ताक्षरी की

03-05-2024

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र.....
तहसील.....
जिला टिहरी गढ़वाल

उत्तराखण्ड/देहरादून में चीड़ - बांज/मिश्रित वनों में मानव

11/1/2019

AGENCY COPY

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 01-11-2019

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6130646788
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/68/2018
Address.	T.D.,P.W.D. SRINAGAR , H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GAR Tehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	 eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070
Amount(in Rs)	2267061/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words:Twenty-Two Lakh Sixty-Seven Thousand and Sixty-One Rupees Only

01/11/19

Executive Engineer
P.W.D. Srinagar
(Kirtinagar)

Depositor Signature

CORPORATION BANK

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

forestsclearance.nic.in/UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=ROAD

सहायक अभियन्ता-।
अम्थ ई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-म० कीर्तिनगर टि०ग०

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 03-08-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6130646577
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/68/2018
Address.	T.D.,P.W.D. SRINAGAR , H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHAND Tehri Garhwal
Remitter Contact No, Email-Id, Mobile No, Landline No.	eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070
Amount(in Rs)	621555/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount In Words:Six Lakh Twenty-One Thousand Five Hundred and Fifty-Five Rupees Only

Executive Engineer 05/08/24
T.D., P.W.D.
H.Q.-Kirtinagar

Depositor Signature

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 03-08-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6130646577
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/68/2018
Address.	T.D.,P.W.D. SRINAGAR , H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHANDTehri Garhwal
Remitter Contact No, Email-Id, Mobile No, Landline No.	eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070
Amount(in Rs)	621555/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount In Words :Six Lakh Twenty-One Thousand Five Hundred and Fifty-Five Rupees Only

Executive Engineer 05/08/24
T.D., P.W.D.
H.Q.-Kirtinagar

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdesk

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofi

07 AUG 2024

S/67394579

कार्य का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरू से भैंसकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.785 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सैन्ट्रल वर्ज पर स्ट्रीप प्लानटेशन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां सम्भव हो सड़के के दोनो विनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Stip Plantation किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

(59)

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Shri .....(इन्द्रधर बौड़ाई)..... I.A.S.** District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Devprayag** Block area measuring **1.785 Hectare** for the construction of **Jamnikhal to Chaudiyon to Barguru to Bhainskot Motor Road** in Tehsil **Devprayag** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

District Collector Cum Chairman
(इन्द्रधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।
District Tehri Garhwal
New Tehri

सहायक अभियन्ता-I
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-पु० कीर्तिनगर टि०ग०

It is further certified that – Minutes of meeting of **Jamnikhal to Chaudiyon to Barguru to Bhainskot** Motor Road (4.500 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.785 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

(21)

जिला पंचायत सदस्य
जिला पंचायत-भल्लेगाँव-37
जनपद-टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

Hard Copy Attached

सहायक अभियन्ता-I
नि०नि०दि०
टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

मुनिकीरेती

Signature

((इन्दुधर बौड़ाई))
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
D.M. Tehri Garhwal

प्रारूप सं0 – 1.90

भू–अर्जन प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम –
तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरू से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि0मी0)।

स्वीकृति सन्दर्भ :– 1144 / III(2) / 14–72(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 04.03.2014

विधान सभा देवप्रयाग के विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरू से भैंसकोट मोटर मार्ग 4.500 कि0मी0 हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासकि एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष गांव वालों की सहमति पर ही 4.500 कि0मी0 लम्बाई हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

प्रखण्ड़ टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरू से भैंसकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिये 0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.785 है0 सिविल वन भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.785 है0 का अस्थाई खण्ड़ लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकी नाप भूमि 1.365 है0 ग्राम पंचायत नागचौड़, जोगियाणा, भैंसकोट के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोकता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

पटवारी–गाामस
तहसील–देवप्रयाग
जिला गढ़वाल

18/7/16
Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar
Photo Copy

सहायक अभियन्ता–1
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर–मु० कीर्तिनगर टि०ग०

उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टि० ग०

प्रपत्र–3B2

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरू से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि0मी0)।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जामणीखाल से बौड़ियों से बारगुरू से भैंसकोट मोटर मार्ग के (0.00 आरक्षित वन भूमि, 1.785 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 1.785 हे0) का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग) की दिनांक 12/8/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के.के. मिश्रा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1	श्री के.के. मिश्रा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री डी.पी. बेलवाल	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3	श्री [illegible]	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4	श्रीमति विजय लक्ष्मी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

ग्राम पंचायत-रमोलीसैंण

उप प्रभागीय वनाधिकारी (देवप्रयाग) नरेन्द्रनगर वन प्रभा

उपस्थित माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.785 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-।
अन्य कार्य खण्ड नि0नि0वि0
कीर्तिनगर–मु0 कीर्तिनगर टि0ग0

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग, उपवन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड देवप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरू से भैंसकोट मोटर मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.785 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

12/8/16

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष

कीर्तिनगर टि०ग०

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- देवप्रयाग

जनपद टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Photo Copy Attd

सहायक अभियन्ता-I

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०

कीर्तिनगर टि०ग०

12/8/16

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष

कीर्तिनगर टि०ग०

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- देवप्रयाग

जनपद टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नामः— जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरू से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि0मी0)।

दिनांक 12-8-2016 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

जनपद— टिहरी गढ़वाल।

1.	~~श्री के० के० मिश्र~~ के० के० मिश्र	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर, टि० ग०
2.	डी० पी० बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	उप प्रभागीय वनाधिकारी (देवप्रयाग) नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
3.	विनोद कुमार उनियाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4.	विशाला देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य	सदस्य क्षेत्र पंचायत-रूमधार वि० खं०-देवप्रयाग टि० ग०

Photo Copy Ajit

सहायक अभियन्ता-।
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
कीर्तिनगर—ग० कीर्तिनगर टि०ग०

प्रपत्र–@3ः3

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरू से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि0मी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– जोगियाणा (भल्डियाणा)
तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड कीर्तिनगर में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरू से भैंराकोट निर्माण के परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 आरक्षित वन भूमि, 1.785 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.785 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जोगियाणा (भल्डियाणा) द्वारा दिनांक 5/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जोगियाणा (भल्डियाणा) ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ सहायक विकास अधिकारी
ग्राम सचिव विकास खण्ड देवप्रयाग

ह0/ ग्राम प्रधान

नोट : यदि किसी अनुसूचित जनजाति अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही हो तो सक्षम स्तर से संबंधित विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

सहायक अभियन्ता-I
लोनिवि कीर्तिनगर टि0ग0

प्रपत्र-2 ~~(ख)~~ 30.3

दिनांक 5/7/04 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जोगियाणा (भल्डियाणा)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	[illegible]	
2	[illegible]	
3	[illegible]	
4	[illegible]	
5	अमरदीप	
6	दयालसिंह	दयालसिंह
7	पुष्पा देवी	
8.	सुलोचना देवी	सुलोचना देवी
9-	शकुन्तला देवी	
10	संगीता देवी	संगीता देवी
11-	सुमित्रा देवी	
12	कमला देवी	
13	[illegible]	
15	[illegible]	
16	[illegible]	
17	माहीपाल जोशी	
	पुष्पा	पुष्पा
	मीरसिंह	मीरसिंह
19-	[illegible]	
	लक्ष्मी देवी पंवार	

Photo Copy

सहायक विकास अधिकारी-I
[illegible]

ग्राम प्रधान

सहायक विकास अधिकारी
[illegible]
जि. टिहरी गढ़वाल

प्रपत्र–~~23~~ 3.0.3

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरू से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि0मी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– भैंसकोट
तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड कीर्तिनगर में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरू से भैंसकोट निर्माण के परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 आरक्षित वन भूमि, 1.785 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.785 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भैंसकोट द्वारा दिनांक 5/7/16 को सम्पन्न वन सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भैंसकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/
ग्राम प्रधान

प्रधान, ग्राम पंचायत भैंसकोट
ह0.....
दि0 5/07/2016

ह0/
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....
दि0/ह0 न्याय।

यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त उपखण्ड उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

ह0/
सदस्य
क्षेत्र पंचायत समिति
वि0 ख0–देवप्रयाग (टि0 ग0)

Photo Copy

सहायक अभियन्ता–।
लम्बाई खण्ड लो0नि0वि0
कीर्तिनगर टि0ग0

प्रपत्र ~~23.1~~ 30.3

दिनांक 5/7/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भैंसकोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विनोद सिंह बिष्ट	
2	जगत सिंह बिष्ट	
3	शिव सिंह बिष्ट	शिवसिंह
4	विरु मिस्त्री	नवरू मिस्त्री
5	चतर सिंह बिष्ट	चतरसिंह
6	लुगाण्या सिंह बिष्ट	लुगण्या सिंह बिष्ट
7	राम दास पूर्व क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य	
8	कुंवर सिंह बिष्ट	कुंवरसिंह
9	भगवान दास	भगवानदास
10	प्रमोद दास	प्रमोद दास
11	किशन दास	किशनदास
12	दरियाव लाल	दरियावलाल
13	जगतसिंह उ0 हुकमसिंह	जगतसिंह
14	प्रमिला देवी	प्रमिला देवी
15	सगीता देवी	[illegible]
16	प्यारी देवी	प्यारी देवी
17	सुरेश दास	सुरेश दास
18	अंकी देवी	अंकी देवी
19	निमा देवी	निमा देवी
20	चरिता देवी	चरिता देवी
21	सावन सिंह	सावन सिंह
22		
23		
24		

सहायक अभियन्ता-I
अवर अभियन्ता खण्ड तो०नि०वि०
जीनगर-म० कीर्तिनगर टि०ग०

ह0/-
ग्राम प्रधान
विशाला देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत-देवप्रयाग
जनपद टिहरी गढ़वाल

प्रधान, ग्राम पंचायत भैंसकोट
ह0
दि0 05/7/2016
वि0 खं0 देवप्रयाग (टि0ग0)

प्रारुप–34

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरू से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि0मी0)।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/ संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता 07/16
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

Photo Copy

सहायक अभियन्ता-1
अस्था0 खण्ड लो0नि0वि0
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर टि0ग0

प्रारुप–35

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरू से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि0मी0)।

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred. Apart from the stage of planning the road alignment. effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-
(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) All cut slopes. unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts. breast walls. retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

Photo Copy

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।
16/07/16

सहायक अभियन्ता।
अ0ख0 लो0नि0वि0
श्रीनगर–मु0 कीर्तिनगर टि0ग0

प्रारुप–36

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरू से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि0मी0)।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र

मानक शर्तें

1 वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2 प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

3 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

4 वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5 प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

6 परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।

7 हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8 बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9 सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।

11 सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 मे निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

Photo Copy

सहायक अभियन्ता-I
खण्ड-II लो0नि0वि0
कीर्तिनगर–टि0ग0

12 प्रयाक्ता एजन्सी क द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बान्धत जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

13 वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

14 हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15 वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

16 यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।

17 उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18 वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

10/07/16
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता-1
अ0ख0 लो0नि0वि0
श्रीनगर–मु0 कीर्तिनगर टि0ग0

प्रारुप–51

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरू से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि0मी0)।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता–।
अस्था0ई खण्ड नो0नि0वि0
श्रीनगर–मु0 कीर्तिनगर टि0ग0